राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2022 अपील

1. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री उगमा पत्नी कन्हैयालाल बनाम खाती निवासी आराजिया हा.मु. पुर तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमती लाड देवी पुत्री उगमा पत्नी हीरालाल खाती निवासी आरजिया हा.मु. जालखेडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

1. श्री हीरालाल पिता सोहन खाती निवासी आरजिया
2. श्री कैलाश पिता सोहन खाती निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री जमना पिता सोहन खाती निवासी आरजिया
4. सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1412 दिनांक 09.01.2008 तहसीलदार भीलवाडा अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –

1. श्री श्रवण सेन अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.10.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1412 दिनांकित 09.01.2008 तहसीलदार भीलवाडा के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरजिया तहसील भीलवाडा के खाता संख्या 234 रकबा 03.09 बीघा एवं खाता संख्या 238 रकबा 0.02 बीघा भूमि का मृतक खातेदार सोहन पिता उगमा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1412 राजस्व अभियान 2008 में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.01.2008 को अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के नाम पर खोला गया, जिसमें पटवारी हल्का ने वास्तविक नाम व उसके पिता के नाम की कोई जानकारी नहीं करके मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी संख्या 02 का नाम लाड देवी के बजाय गोटी एवं अपीलार्थीगण के पिता के पिता का नाम उगमा के बजाय सोहन अंकित कर दिया गया। जिस पर गिरदावर हल्का व तहसीलदार ने किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं करके नामान्तरकरण संख्या 1412 को पारित कर दिया गया जो लिपिकिय त्रुटि एवं भूलवश त्रुटि प्रतीत होने से नामान्तरकरण में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं। अपीलार्थी संख्या 02 का नाम लाड देवी हैं जो दस्तावेजात में अंकन से स्पष्ट होता हैं किन्तु पटवारी हल्का ने मुंह बोलता नाम गोटी अंकित कर दिया हैं। इसी प्रकार अपीलार्थीगण के पिता का नाम उगमा हैं, लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के पिता का नाम सोहन अंकित कर दिया हैं जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक हैं। उक्त अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में प्रस्तुत है। मियाद के समय को कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से पेश किया हैं। निवेदन हैं अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1412 दिनांकित 09.01.2008 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेम पुत्री सोहन अंकित हैं, उसके बजाय प्रेम पुत्री उगमा अंकित करने एवं अपीलार्थी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकार्ड में गोटी व गोरी पुत्री सोहन अंकित उसके बजाय लाड देवी पुत्री उगमा अंकित करने का संशोधित आदेश किया जाये।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में दर्ज की जाकर जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 02 का नाम लाड देवी हैं जो दस्तावेजात में अंकन से स्पष्ट होता हैं किन्तु पटवारी हल्का ने मुंह बोलता नाम गोटी अंकित कर दिया हैं। इसी प्रकार अपीलार्थीगण के पिता का नाम उगमा हैं, लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के पिता का नाम सोहन अंकित कर दिया हैं जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक हैं। निवेदन हैं अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1412 दिनांकित 09.01.2008 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेम पुत्री सोहन अंकित हैं, उसके बजाय प्रेम पुत्री उगमा अंकित करने एवं अपीलार्थी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकार्ड में गोटी व गोरी पुत्री सोहन अंकित उसके बजाय लाड देवी पुत्री उगमा अंकित करने का संशोधित आदेश किया जाये।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 03 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य सही व सत्य हैं। अपील स्वीकार की जाने में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 03 सहमत हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावे।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध जन–आधार कार्ड अनुसार अपीलार्थी प्रेमदेवी के पिता का नाम उगमा अंकित हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत आरजिया के पत्रांक /स्पे./2023 दिनांक 16.10.2023 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार श्रीमती लाड देवी उर्फ गोटिया पिता उगमा सुथार के नाम से एक ही महिला हैं, जो दोनों ही नाम से जानी जाती हैं। जन आधार कार्ड में लाड देवी के पिता का नाम उगमा अंकित हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में लाड देवी के बजाय गोटी अंकित किया हुआ हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट से संबंधित सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण उपरांत, दस्तावेजात सही पाये जाने पर, दस्तावेजात अनुसार अपीलाण्ट का नाम गोटिया के स्थान पर लाडदेवी एवं अपीलाण्ट के पिता का नाम उगमा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित होने से अपीलार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1412 दिनांकित 09.01.2008 को अपास्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि, प्रकरण में अपीलाण्ट से संबंधित सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण उपरांत, दस्तावेजात सही पाये जाने पर, दस्तावेजात अनुसार अपीलाण्ट का नाम गोटिया के स्थान पर लाडदेवी एवं अपीलाण्ट के पिता का नाम उगमा राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा